

झारखंड सरकार,
उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग।

अधिसूचना

राँची, दिनांक.....01.04.2019

संख्या :- 01/नीति-29/2018-.....726...../ झारखंड उत्पाद अधिनियम, 1915 (झारखंड उत्पाद अधिनियम II, 1915) की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्व पर्षद, विभिन्न प्रकार की मदिरा/सुषव (Spirit) के आयात, निर्यात, परिवहन एवं बॉटलिंग शुल्क से संबंधित पूर्व में निर्गत सभी अधिसूचनाओं को, जहाँ तक वे इससे असंगत हो, अधिकांत करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं :-

विभिन्न प्रकार के मदिरा/सुषव (Spirit) के आयात, निर्यात, परिवहन एवं बॉटलिंग हेतु निम्न तालिका के अनुसार शुल्क (Fee) अधिरोपित किये जाते हैं :-

क्र. सं.	मदिरा का प्रकार	आयात शुल्क (Fee)	निर्यात शुल्क (Fee)	परिवहन शुल्क (Fee)
1	भारत निर्मित विदेशी मदिरा	रु0 12/बी.एल.	रु0 0.30/बी.एल.	—
2	बीयर	रु0 9/बी.एल.	रु0 0.10/बी.एल.	—
3	वाइन, शैम्पेन, Low Strength Carbonated Alcoholic Beverage (LAB) एवं ब्रीजर	रु0 1/बी.एल.	रु0 0.10/बी.एल.	—
4	एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (देशी मदिरा के निर्माण के लिए)	रु0 0.50/बी.एल.	रु0 0.50/बी.एल.	रु0 0.10/बी.एल.
5	ENA से बनी देशी/मसालेदार/ Flavoured देशी शराब	रु0 0.10/बी.एल.	रु0 0.10/बी.एल.	—
6	संशोधित सुषव (एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल बनाने के लिए)	रु0 6/बी.एल.	—	—
7	ई0एन0ए0/मॉल्ट स्पीट/एच0बी0एस0 (भारत निर्मित विदेशी मदिरा के निर्माण हेतु)	रु0 20/बी.एल.	रु0 1.00/बी.एल.	रु0 0.50/बी.एल.
8	डिनेचर्ड स्पीट	रु0 1/बी.एल.	रु0 0.50/बी.एल.	—

(b) भारत निर्मित विदेशी शराब, बीयर एवं कम शक्ति की मदिरा के उपर अधिरोपित किया जाने वाला बॉटलिंग शुल्क निम्नवत रहेगा :-

क्र. सं.	मदिरा का प्रकार	बॉटल का पैक साइज	बॉटलिंग शुल्क (Fee)
1	भारत निर्मित विदेशी मदिरा (15% v/v से अधिक)	1000 ML व बड़े साइज	रु0 1.50/बॉटल
2	भारत निर्मित विदेशी मदिरा (15% v/v से अधिक)	750 ML	रु0 1/बॉटल

3	भारत निर्मित विदेशी मदिरा (15% v/v से अधिक)	375 ML	रु0 0.50/बॉटल
4	भारत निर्मित विदेशी मदिरा (15% v/v से अधिक)	180 ML एवं उससे नीचे की माप	रु0 0.25/बॉटल
5	बीयर एवं कम शक्ति की मदिरा (15% v/v से कम)	650 ML	रु0 1/बॉटल
6	बीयर एवं कम शक्ति की मदिरा (15% v/v से कम)	500 ML एवं उससे नीचे की माप	रु0 0.50/बॉटल

2. यह अधिसूचना दिनांक 01.04.2019 से प्रभावी होगी।

सदस्य, राजस्व पर्षद के आदेश से,


1.4.19
(वीरेन्द्र कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।

 